

V

सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में गतिविधियां

वर्ष 2017-18 में, शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के समेकित तुलन-पत्र का संकुचन हुआ, जिसका कारण विगत वर्ष विमुद्रीकरण के प्रभाव से जमाराशियों के विस्तार में हुई कमी रही। आस्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ, हालांकि समग्र लाभप्रदता में कमी आई। ग्रामीण सहकारी बैंकों के मध्य, अनर्जक आस्ति (एनपीए) अनुपातों तथा लाभप्रदता के रूप में राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) के कार्यनिष्पादन में बेहतर आई, किंतु अन्य खंडों के अंतर्गत - जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी), राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (एससीएआरडीबी) तथा प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (पीसीएआरडीबी) के ऋणों की चूक बढ़ने से घाटा बढ़ा।


1. प्रस्तावना

V.1 जनसंख्या के बैंक-रहित हिस्से को ऋण उपलब्ध कराने और वित्तीय समावेशन को साकार करने के लिए इस संदर्भ में भारत में अपनाए गए बहु-एजेंसी उपागम के अंतर्गत सहकारी संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। सहकारी बैंकों के अंतर्गत मार्च 2018 के अंत में 1,551 शहरी

सहकारी बैंक (यूसीबी) और मार्च 2017 के अंत में 96,612 ग्रामीण सहकारी बैंक आते हैं। इनमें से बाद वाले, अर्थात सभी ग्रामीण सहकारी बैंकों^{1,2} की कुल आस्तियों में हिस्सेदारी 65.8 प्रतिशत रही (चार्ट V.1)।

V.2 शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) शहरी और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में वहनीय लागत पर संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने का

चार्ट V.1: सहकारी बैंकों की संरचना और उनका आस्ति आकार



¹ ग्रामीण सहकारी बैंकों से संबंधित आंकड़े एक वर्ष के अंतराल अर्थात वर्ष 2016-17 से उपलब्ध हैं।

² ग्रामीण सहकारी संस्थानों के मध्य, एसटीसीबी/डीसीसीबी संबंधित राज्यों के राज्य सहकारी समिति अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंजीकृत होते हैं और इनका विनियमन रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। नाबार्ड को बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 35 ए (सहकारी समितियों पर यथा लागू) के तहत राज्य और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के निरीक्षण की शक्तियां प्रदान की गई हैं। पीसीएएस और दीर्घावधिक ऋण प्रदान करने वाले सहकारी संस्थानों को बैंककारी अधिनियम, 1949 के दायरे से बाहर रखा गया है, इसलिए रिजर्व बैंक द्वारा इनका विनियमन नहीं किया जाता। नाबार्ड द्वारा एससीएआरडीबी, शीर्ष स्तरीय सहकारी समितियों और परिसंघों का स्वेच्छापूरवक निरीक्षण किया जाता है।

प्रयास करते हैं, वहीं ग्रामीण सहकारी बैंक अपनी भौगोलिक और जनांककीय पहुंच का फायदा उठाते हुए गांवों और छोटे कस्बों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। हालांकि, सहकारी संस्थानों में वृद्धि समग्र रूप से बैंकिंग क्षेत्र की वृद्धि के अनुरूप नहीं हुई है। मार्च 2017 के अंत में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की कुल आस्तियों की तुलना में सहकारी बैंकों की हिस्सेदारी सिर्फ 11 प्रतिशत रही, जो 2004-05 में 19 प्रतिशत थी। रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए सुधारात्मक उपायों के कारण यूसीबी क्षेत्र का सुदृढीकरण हुआ है किंतु ग्रामीण सहकारी खंड में कमजोरी बनी हुई है, जो परिचालनात्मक तथा अभिशासन से संबंधित बाधाओं को दर्शाती है।



V.3 इस पृष्ठभूमि के साथ, इस अध्याय में यूसीबी और ग्रामीण सहकारी बैंकों के विगत वर्ष में कार्यनिष्पादन का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है, जिसमें बाद वाले अर्थात् ग्रामीण सहकारी बैंकों से संबंधित सूचना की उपलब्धता के अंतराल को पहले ही सूचित किया गया है। शेष अध्याय चार खंडों में तैयार किया गया है। खंड 2 में यूसीबी की तुलन-पत्र संबंधी गतिविधियों तथा वित्तीय कार्यनिष्पादन का विश्लेषण दर्शाया गया है। खंड 3 में अल्पावधिक एवं दीर्घावधिक ग्रामीण सहकारी बैंकों के समग्र कार्यनिष्पादन का आकलन प्रस्तुत


किया गया है। अंतिम खंड में नीति निर्माण संबंधी सूचना प्रदान करने की दृष्टि से सहकारी संस्थानों के समग्र आयामों को दर्शाया गया है।

2. शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी)

V.4 वर्ष 1993-2004 के दौरान रिजर्व बैंक ने यूसीबी के मामलों में लायसेंस प्रदान करने की सक्रिय नीति को अपनाया, जिसके परिणामस्वरूप उनकी संख्या में तीव्र वृद्धि हुई। इसके पश्चात, इस क्षेत्र में स्पष्ट रूप से वित्तीय स्थिति नाजुक होने के संकेत दिखाई देने से रिजर्व बैंक ने अपने विज्ञान दस्तावेज (2005) में समुचित विनियामकीय और पर्यवेक्षीय नीतियों का उल्लेख किया, जिसमें *अन्य बातों के साथ* कमजोर किंतु वहनीय यूसीबी के विलय/समामेलन तथा गैर-वहनीय यूसीबी को बंद करना शामिल है। परिणामस्वरूप, मार्च 2018 के अंत तक यूसीबी की संख्या में कमी आई (चार्ट V.2)। महाराष्ट्र में, जहां यूसीबी की संख्या सर्वाधिक है, यूसीबी का सबसे अधिक विलय हुआ, इसके बाद गुजरात का स्थान रहा (चार्ट V.3)।

V.5 समेकन के बाद यूसीबी की संख्या में कमी आने के बावजूद उनकी आस्तियों के आकार में कई गुना वृद्धि हुई, जो





उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने के संबंध में नीतिगत ध्यान केंद्रित किए जाने को रेखांकित करता है (चार्ट V.4)।

V.6 जमाकर्ताओं की बुनियाद³ के आधार पर यूसीबी को टिअर I और टिअर II श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। यूसीबी की टिअर II श्रेणी की जमाकर्ताओं की बुनियाद अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत है (सारणी V.1)।

V.7 संख्या और आस्ति आकार –दोनों ही दृष्टि से समेकन अभियान टिअर II यूसीबी के हिस्से में वृद्धि के रूप में परिणत हुआ है (चार्ट V.5)।

2.1 तुलन-पत्र

V.8 यूसीबी के समेकित तुलन-पत्र में इस दशक के दौरान एकीकरण अभियान के बाद सुदृढ़ वृद्धि हुई, क्योंकि अपेक्षाकृत अधिक मजबूत तुलन-पत्र वाले सशक्त प्रतिभागियों ने तुलन-पत्र वृद्धि को प्रेरित किया। हालांकि, 2013-14 से वृद्धि में गिरावट हुई है (चार्ट V.6)।

V.9 वर्षों के दौरान, यूसीबी के बीच आस्ति केंद्रण में वृद्धि हुई है। यूसीबी का वितरण बाई-मॉडल आधारित रहा, जिसके आस्ति आकार के शीर्ष स्तर 2014-15 में ₹0.25

सारणी V.1: शहरी सहकारी बैंकों का टिअर-वार वितरण
(मार्च 2018 के अंत में)

(राशि ₹ बिलियन में)

टिअर का प्रकार	बैंकों की संख्या		जमाराशि		अग्रिम		आस्तियां	
	संख्या	कुल में %	राशि	कुल में %	राशि	कुल में %	राशि	कुल में %
टिअर I यूसीबी	1,071	69.1	593	13.0	336	12.0	738	13.1
टिअर II यूसीबी	480	31.0	3,972	87.0	2,469	88.0	4,894	86.9
सभी यूसीबी	1,551	100.0	4,565	100.0	2,805	100.0	5,632	100.0

टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं।



स्रोत : भा.रि.बैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

³ यूसीबी टिअर I को इस प्रकार परिभाषित किया गया है :

क) जमाराशि की बुनियाद ₹1 बिलियन से कम हो और परिचालन एक ही जिले में हो, या


ख) जमाराशि की बुनियाद ₹1 बिलियन से कम हो और परिचालन एक से अधिक जिलों में हो, बशर्ते बैंक की शाखाएं निकटवर्ती जिलों में हों, और एक जिले में शाखाओं की जमाराशियां एवं अग्रिम राशियां क्रमशः कुल जमाराशियों और अग्रिमों की कम से कम 95 प्रतिशत हों।

ग) शाखाएं मूलतः एक ही जिले में हों एवं जिले के पुनर्गठन के कारण उनके परिचालन एक से अधिक जिलों में हो जाते हों और जमाराशि की बुनियाद ₹1 बिलियन से कम हो। अन्य सभी यूसीबी को टिअर-II यूसीबी के रूप में परिभाषित किया जाता है।



से ₹0.5 बिलियन' एवं '₹1 से ₹2.5 बिलियन' के वर्ग (ब्रेकेट) के बीच रहे। हालांकि, 2016-17 से यह वितरण यूनि-मॉडल, अर्थात् '₹1 से ₹2.5 बिलियन' के वर्ग पर आधारित हो गया है। इसके अलावा, ₹10 बिलियन से अधिक के आस्ति आकार वाली यूसीबी की हिस्सेदारी 2014-15 के 4.6 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 6.2 प्रतिशत हो जाने के साथ यह

वितरण दाईं ओर अंतरित हुआ (चार्ट V.7)। यूसीबी का हर्फिडल-हर्शमैन सूचकांक (एचएचआई) 2015-16 के 0.37 से बढ़कर 2017-18 में 0.41 हो गया, जो बढ़ते संकेंद्रण को दर्शाता है।



V.10 वर्ष 2017-18 के दौरान, यूसीबी के समेकित तुलन-पत्र में कमी का कारण विमुद्रीकरण के कारण पिछले वर्ष होने वाली जमाराशियों में उच्च वृद्धि की तुलना में मंदी होना रहा – जो कुल देयताओं के 81 प्रतिशत हिस्से को दर्शाता है। पूंजी और आरक्षित निधियों में मंदी के कारण उनके संयुक्त तुलन-पत्र का विस्तार धीमा रहा। यद्यपि, उधार लेने पर अधिक निर्भरता के माध्यम से जमाराशियों में मंदी को अंशतः निष्प्रभावी किया गया (सारणी V.2)।

V.11 वर्ष 2017-18 को समाप्त हो रहे दशक के दौरान, समेकन ने जमाराशियों की दृष्टि से यूसीबी के वितरण में परिवर्तनों को भी उत्प्रेरित किया। ₹0.25 बिलियन की सीमा तक की जमाराशि की बुनियाद वाली यूसीबी की हिस्सेदारी में गिरावट आई है, जबकि ₹1 से ₹2.5 बिलियन और अधिक की सीमा वाली जमाराशि की बुनियाद वाली यूसीबी की संख्या बढ़ी है (चार्ट V.8)।

सारणी V.2: शहरी सहकारी बैंकों की देयताएं एवं आस्तियां
(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ बिलियन में)

आस्तियां/देयताएं	अनुसूचित यूसीबी		गैर-अनुसूचित यूसीबी		सभी यूसीबी		वृद्धि दर (%) सभी यूसीबी	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2016-17	2017-18
1	2	3	4	5	6	7	8	9
देयताएं								
1. पूंजी	39 (1.5)	41 (1.6)	82 (2.9)	89 (3.0)	121 (2.2)	130 (2.3)	10.0	7.1
2. आरक्षित निधियाँ	158 (6.2)	167 (6.3)	177 (6.2)	186 (6.2)	335 (6.2)	353 (6.3)	13.2	5.5
3. जमाराशियां	2,072 (81.5)	2,120 (80.1)	2,362 (82.7)	2,445 (81.9)	4,435 (82.1)	4,565 (81.1)	13.1	2.9
4. उधारियां	31 (1.2)	45 (1.7)	3 (0.1)	4 (0.1)	34 (0.6)	49 (0.9)	31.6	41.6
5. अन्य देयताएं	243 (9.5)	273 (10.3)	232 (8.1)	262 (8.8)	474 (8.8)	535 (9.5)	8.6	12.8
आस्तियां								
1. उपलब्ध नकदी	15 (0.6)	15 (0.6)	30 (1.0)	40 (1.3)	45 (0.8)	55 (1.0)	6.1	21.7
2. आरबीआई में शेष जमाराशि	99 (3.9)	103 (3.9)	15 (0.5)	21 (0.7)	115 (2.1)	125 (2.2)	12.9	8.9
3. बैंकों में शेष जमाराशि	177 (6.9)	161 (6.1)	431 (15.1)	468 (15.7)	607 (11.2)	629 (11.2)	8.5	3.6
4. मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय जमाराशि	39 (1.5)	31 (1.2)	11 (0.4)	14 (0.5)	50 (0.9)	45 (0.8)	55.1	-11.0
5. निवेश	662 (26.0)	689 (26.0)	759 (26.6)	809 (27.1)	1,421 (26.3)	1,498 (26.6)	17.5	5.4
6. ऋण एवं अग्रिम	1,292 (50.8)	1,369 (51.7)	1,320 (46.2)	1,436 (48.1)	2,612 (48.4)	2,805 (49.8)	6.6	7.4
7. अन्य आस्तियां	259 (10.2)	279 (10.6)	290 (10.2)	196 (6.6)	549 (10.2)	476 (8.5)	39.5	-13.3
कुल देयताएं/आस्तियां	2,543 (100)	2,647 (100)	2,856 (100)	2,985 (100)	5,399 (100)	5,632 (100)	12.8	4.3


टिप्पणियां : 1. वर्ष 2018 से संबंधित आंकड़े अनंतिम हैं।

2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं/आस्तियों (प्रतिशत में) के अनुपात में हैं।

3. पूर्णांकन के कारण कुल जोड़ घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।

4. वर्ष-दर-वर्ष विचलन थोड़ा भिन्न हो सकता है क्योंकि सारणी में निरपेक्ष संख्याओं को ₹1 बिलियन में पूर्णांकित किया गया है।

स्रोत : भा.रि.बैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।



V.12 वर्ष 2017-18 के दौरान ₹1 से ₹2.5 बिलियन की सीमा में जमाराशियां धारित करने वाले यूसीबी, जमा की आदर्श श्रेणी (मॉडल क्लास) बन गए (सारणी V.3)।

V.13 आस्तियों के पक्ष में, मांग तथा अल्पावधिक मुद्रा में मंदी रही, जो ऋणों एवं अग्रिमों में वृद्धि के कारण अंशतः निष्प्रभावी हुई।

V.14 केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में होने वाले निवेश के लगभग 67 प्रतिशत हिस्से को दर्शाने वाली कमी कुल निवेश में होने वाली मंदी का कारक रही (सारणी V.4)।

V.15 यूसीबी का ऋण-जमा (सीडी) अनुपात, जो 2009-10 से 2015-16 के बीच 60 से 67 प्रतिशत के दायरे में हुआ करता था, विमुद्रीकरण के कारण होने वाली जमाराशि

सारणी V.3 : जमाराशियों और अग्रिमों के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों का वितरण
(मार्च 2018 के अंत में)

जमाराशि (₹ बिलियन)	यूसीबी की संख्या		कुल जमाराशि		अग्रिम (₹ बिलियन)	यूसीबी की संख्या		अग्रिमों की राशि	
	संख्या	% हिस्सेदारी	संख्या	% हिस्सेदारी		संख्या	% हिस्सेदारी	राशि	% हिस्सेदारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.00 - 0.10	111	7.2	7	0.1	0.00 - 0.10	258	16.6	14	0.5
0.10 - 0.25	226	14.6	38	0.8	0.10 - 0.25	345	22.2	57	2.0
0.25 - 0.50	304	19.6	110	2.4	0.25 - 0.50	289	18.6	100	3.6
0.50 - 1.00	272	17.5	191	4.2	0.50 - 1.00	238	15.3	167	6.0
1.00 - 2.50	332	21.4	516	11.3	1.00 - 2.50	224	14.4	340	12.1
2.50 - 5.00	138	8.9	482	10.6	2.50 - 5.00	99	6.4	343	12.2
5.00 - 10.00	88	5.7	590	12.9	5.00 - 10.00	55	3.5	373	13.3
10.00 और उससे अधिक	80	5.2	2,630	57.6	10.00 और उससे अधिक	43	2.8	1,410	50.3
कुल	1,551	100.0	4,565	100.0	कुल	1,551	100.0	2,805	100.0

टिप्पणियां : 1. आंकड़े अनंतिम हैं।

2. पूर्णांकन के कारण कुल जोड़ घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।

स्रोत : भा.रि.बैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

में वृद्धि के कारण 2016-17 में घटकर 58.9 प्रतिशत रह गया। जमा वृद्धि के सामान्य होने से 2017-18 के दौरान होने वाली ऋण वृद्धि के साथ ऋण-जमा (सीडी) अनुपात पुनः बढ़ने लगा और विमुद्रीकरण के पूर्व के स्तर पर पहुंच गया है (चार्ट V.9ए)।

V.16 यूसीबी का जमा की तुलना में निवेश अनुपात खासतौर पर एससीबी की तुलना में अधिक है। हालांकि, 2015-16 से यह अनुपात एससीबी की अपेक्षा कम स्तर पर चला गया है,

क्योंकि एसएलआर निवेश के तहत एसटीसीबी एवं डीसीसीबी में उनकी जमाराशि को दी जाने वाली मान्यता समाप्त हो गई (चार्ट V.9बी)।

V.17 बैंकिंग क्षेत्र में तीव्र गति से हो रहे परिवर्तनों के मद्देनजर तथा संवृद्धि को प्रोत्साहित के लिए, पात्र यूसीबी को लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) में परिवर्तित करने संबंधी रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए हाल के कदम महत्वपूर्ण हो जाते हैं (बॉक्स V.1)।

सारणी V.4: शहरी सहकारी बैंकों द्वारा निवेश

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	मार्च के अंत में			घट-बढ़ (%)	
	2016	2017	2018	2016- 2017	2017-2018
1	2	3	4	5	6
कुल निवेश (ए+बी)	1,209	1,421	1,498	17.5	5.4
	(100.0)	(100.0)	(100.0)		
ए. एसएलआर निवेश (i से iii)	1,096	1,254	1,361	14.4	8.6
	(90.7)	(88.2)	(90.9)		
(i) केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	878	955	999	8.7	4.7
	(72.6)	(67.2)	(66.7)		
(ii) राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	215	294	361	36.8	22.9
	(17.8)	(20.7)	(24.1)		
(iii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	3	6	1	62.1	-79.8
	(0.3)	(0.4)	(0.1)		
बी. एसएलआर से इतर निवेश	113	167	137	48.2	-18.3
	(9.3)	(11.8)	(9.1)		

टिप्पणियां : 1. वर्ष 2018 से संबंधित आंकड़े अनंतिम हैं।


2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े निवेश के संबंधित प्रकार के हिस्से को दर्शाते हैं।

3. पूर्णांकन के कारण कुल जोड़ घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।

4. वर्ष-दर-वर्ष विचलन थोड़ा भिन्न हो सकता है क्योंकि निरपेक्ष संख्याओं को ₹1 बिलियन में पूर्णांकित किया गया है।

स्रोत : भा.रि.बैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

चार्ट V.9: ऋण-जमाराशि और निवेश-जमाराशि के अनुपात : यूसीबी बनाम एससीबी



स्रोत : भा.रि.बैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

बॉक्स V.1 : शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) का लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) में स्वैच्छिक परिवर्तन : आगे की राह

27 सितंबर 2018 को रिजर्व बैंक ने उच्चाधिकार प्राप्त समिति (अध्यक्ष : श्री आर. गांधी) की अनुशंसाओं के अनुरूप पात्र शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) में स्वैच्छिक परिवर्तन के लिए योजना की घोषणा की। ऐसा किए जाने से लगभग वे उन सभी उत्पादों की शुरुआत करने में सक्षम हो जाएंगे जिनकी अनुमति वर्तमान में सिर्फ वाणिज्यिक बैंकों को है। इससे उन्हें पूरे भारत में अपनी उपस्थिति दर्ज करने में भी मदद मिलेगी। न्यूनतम ₹0.5 बिलियन की निवल मालियत और 9 प्रतिशत या उससे अधिक सीआरएआर वाले यूसीबी स्वैच्छिक परिवर्तन के लिए पात्र माने गए हैं। कारोबार की शुरुआत करने पर, परिवर्तित संस्था की निवल मालियत कम से कम ₹1 बिलियन की होनी चाहिए, और प्रवर्तकों के पास चुकता इक्विटी पूंजी का कम से कम 26 प्रतिशत हिस्सा धारित होना चाहिए। उन्हें सीआरएआर का स्तर निरंतर आधार पर 15 प्रतिशत बनाए रखने की भी आवश्यकता होगी। इसके अलावा, उनसे एसएफबी संबंधी सभी दिशानिदेशों का अनुपालन करना भी अपेक्षित है, यथा – यह सुनिश्चित करना कि समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 75 प्रतिशत हिस्सा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण


प्रदान करने (पीएसएल) में दिया जाए और ऋण संविभाग का 50 प्रतिशत हिस्सा ₹2.5 मिलियन के ऋणों से निर्मित हुआ हो।

मार्च 2018 के अंत में, निवल मालियत और सकल ऋणों तथा अग्रिमों की दृष्टि से अनुसूचित यूसीबी/एसयूसीबी की स्थिति एसएफबी से तुलनीय थी (चार्ट 1)।

विनियामकीय व्यवस्था के संदर्भ में, एसएफबी और यूसीबी - दोनों उन्हीं सीआरएआर एवं एसएलआर संबंधी मानदंडों का अनुपालन करते हैं जिनका अनुपालन एससीबी करते हैं। हालांकि, यूसीबी बासेल। मानकों के अधीन होते हैं जबकि एसएफबी में परिवर्तित होने वाले एसएफबी एवं यूसीबी को बासेल।।। का अनुपालन करना होता है, जिसके अनुसार चलनिधि कवरेज अनुपात और निवल स्थिर निधीयन अनुपात को एससीबी के अनुरूप बनाए रखना अनिवार्य होता है।

54 एसयूसीबी में से 45 की निवल मालियत पहले ही ₹1 बिलियन या उससे अधिक है। साथ ही, 50 एसयूसीबी एवं 1450 गैर-अनुसूचित यूसीबी (एनएसयूसीबी) (कुल 1497 एनएसयूसीबी में से) का सीआरएआर 9 प्रतिशत

चार्ट 1: यूसीबी एवं एसएफबी की तुलना



चार्ट 2: यूसीबी द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र



(जारी....)

सारणी 1: यूसीबी द्वारा स्वीकृत ऋणों का दायरा

ऋण का दायरा	एसयूसीबी	एनएसयूसीबी
	कुल के प्रतिशत के रूप में राशि	कुल के प्रतिशत के रूप में राशि
₹5 लाख तक	10.75	47.46
₹5-10 लाख	6.21	12.05
₹10-15 लाख	3.76	5.60
₹15-20 लाख	3.04	3.84
₹20-25 लाख	2.46	3.36
₹25-50 लाख	6.90	7.90
₹50 लाख -1 करोड़	7.28	6.55
₹1-5 करोड़	23.43	10.70
₹5 करोड़ से अधिक	36.17	2.54

टिप्पणी : आंकड़ों का समेकन मार्च 2015 के अंत की स्थिति के अनुसार किया गया।
स्रोत : यूसीबी से संबंधित उच्चाधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट (अध्यक्ष : श्री आर. गांधी)

से अधिक है। मार्च 2018 के अंत में, सभी यूसीबी द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिया गया ऋण उनके सकल अग्रिमों का 46.6 प्रतिशत था (चार्ट 2)।

2.2 सुदृढ़ता

V.18 यूसीबी की वित्तीय दृढ़ता का आकलन कैमल्स⁴ (पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, प्रबंधन, कमाई, तरलता एवं प्रणाली तथा नियंत्रण) रेटिंग के माध्यम से किया जाता है। मार्च 2018 के अंत में, ए एवं बी रेटिंग, जो मजबूत वित्तीय कार्यनिष्पादन को दर्शाती है, वाली यूसीबी की हिस्सेदारी कुल के 78 प्रतिशत के बराबर थी (सारणी V.5)।

सारणी V.5: यूसीबी का रेटिंग-वार वितरण
(मार्च 2018 के अंत में)

रेटिंग	संख्या		जमाराशि		अग्रिम	
	बैंक	कुल में % हिस्सा	राशि	कुल में % हिस्सा	राशि	कुल में % हिस्सा
ए	328	21.2	1,415	31.0	893	31.8
बी	878	56.6	2,520	55.2	1,562	55.7
सी	278	17.9	518	11.4	303	10.8
डी	67	4.3	111	2.4	47	1.7
कुल	1,551	100.0	4,565	100.0	2,805	100.0


टिप्पणियां : 1. आंकड़े अनंतिम हैं।
2. पूर्णांकन के कारण कुल जोड़ घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।
3. रेटिंग वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान किए गए निरीक्षणों पर आधारित हैं।
4. प्रतिशत घट-बढ़ थोड़ा भिन्न हो सकता है क्योंकि निरपेक्ष संख्याओं को बिलियन रुपयों में पूर्णांकित कर दिया गया है।
स्रोत : भा.रि.बैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

10 मई 2018 से यूसीबी द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करने से संबंधित अर्ह श्रेणियों के समुच्चय में विस्तार किए जाने के मद्देनजर, 75 प्रतिशत के लक्ष्य को हासिल करना उनके लिए कोई बहुत कठिन कार्य नहीं होना चाहिए। हालांकि, मार्च 2015 के अंत में कुल अग्रिमों का 50 प्रतिशत हिस्सा लघु ऋणों के रूप में दिए जाने की शर्त को पूरा करने के लिए खुद को एसएफबी में परिवर्तित करने के इच्छुक एसयूसीबी को अपने वर्तमान कारोबारी मॉडल में सुधार करना पड़ सकता है। एसयूसीबी द्वारा दिए गए ऋणों में से लगभग 67 प्रतिशत का आकार 50 लाख से अधिक था। इसके विपरीत, एनएसयूसीबी द्वारा दिए जाने वाले ऋण की संरचना लघु मूल्य के ऋणों पर केंद्रित है और उन्हें इस संदर्भ में चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा (सारणी 1)।

संदर्भ : भारतीय रिजर्व बैंक (2015): 'शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में उच्चाधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट', जून। यह रिपोर्ट <https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PublicationReport/Pdfs/HPC3934E91FA21241B8B0ABC4C4DBF28A40.PDF> पर उपलब्ध है, जिसे 19 अक्टूबर 2018 को देखा गया।

V.19 बी रेटिंग वाले यूसीबी की हिस्सेदारी में 2014-15 से निरंतर वृद्धि हुई और इन वर्षों के दौरान सबसे कम डी-रेटिंग वाले यूसीबी की संख्या में कमी आई। हालांकि, 2017-18 में डी-रेटिंग वाले यूसीबी की संख्या में मामूली सी वृद्धि हुई (चार्ट V.10)।

चार्ट V.10: रेटिंग श्रेणियों के अनुसार यूसीबी का संख्या-वार एवं कारोबार-वार वितरण
(मार्च के अंत में)



⁴ कैमल्स रेटिंग मॉडल किसी बैंक को ए/बी/सी/डी (कार्यनिष्पादन के घटते क्रम में) की समग्र रेटिंग प्रदान करता है, जो कैमल्स के प्रत्येक घटकों की भारत औसत रेटिंग पर आधारित होता है।

2.3 पूंजी पर्याप्तता

V.20 यूसीबी से एससीबी के समान 9 प्रतिशत जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) का न्यूनतम स्तर बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। 2017-18 के दौरान 97 प्रतिशत गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों (एनएसयूसीबी) का सीआरएआर 9 प्रतिशत और उससे अधिक रहा, जबकि 93 प्रतिशत अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों (एसयूसीबी) ने न्यूनतम अनुपात हासिल किया (सारणी V.6)।

V.21 वर्ष 2017-18 में एसयूसीबी की पूंजी स्थिति में सुधार हुआ किंतु एनएसयूसीबी उसी स्तर पर बने रहे (चार्ट V.11)। नवीनतम पर्यवेक्षकीय आंकड़ों से पता चलता है कि एसयूसीबी की सीआरएआर के संबंध में सहज स्थिति 2018-19 के पूर्वार्द्ध में भी बनी रही। हालांकि, सितंबर 2018 के अंत में चार एसयूसीबी का सीआरएआर ऋणात्मक रहा।

2.4 आस्ति गुणवत्ता

V.22 ऐतिहासिक रूप से, यूसीबी के एनपीए का स्तर एससीबी की तुलना में अधिक रहा है। हालांकि, 2015-16 से आस्ति गुणवत्ता समीक्षा के बाद से एससीबी के एनपीए में तेजी से वृद्धि होने के कारण स्थिति उलट गई है (चार्ट V.12)। इन गतिविधियों के बावजूद, यह उल्लेखनीय है कि 2014-15 से 2016-17 के दौरान यूसीबी का एनपीए अनुपात बदतर हुआ है, हालांकि 2017-18 के दौरान इसमें थोड़ा सुधार होना शुरू हुआ।


V.23 वर्ष 2017-18 के दौरान, यूसीबी का प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात भी एससीबी की तुलना में अधिक रहा

सारणी V.6: यूसीबी का सीआरएआर-वार वितरण
(मार्च 2018 के अंत में)

सीआरएआर (प्रतिशत में)	अनुसूचित यूसीबी	गैर-अनुसूचित यूसीबी	सभी यूसीबी
1	2	3	4
सीआरएआर < 3	3	25	28
3 <= सीआरएआर < 6	0	8	8
6 <= सीआरएआर < 9	1	14	15
9 <= सीआरएआर < 12	4	148	152
12 <= सीआरएआर	46	1,302	1,348
कुल	54	1,497	1,551

टिप्पणियां: आंकड़े अनंतिम हैं।


स्रोत: भा.रि.बैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।



(सारणी V.7)। प्रावधानों में होने वाली मंदी एनपीए में होने वाली गिरावट के अनुरूप रही (चार्ट V.13)।

2.5 वित्तीय कार्यनिष्पादन और लाभप्रदता

V.24 ब्याज से होने वाली आय में कमी होने और जमाराशियों की विस्तृत बुनियाद से होने वाली ब्याज से इतर आय में गिरावट होने के कारण 2017-18 में यूसीबी के निवल



सारणी V.7: यूसीबी की अर्नजक आस्तियां

मद	सभी यूसीबी	
	मार्च 2017 के अंत में	मार्च 2018 के अंत में
1	2	3
1. सकल एनपीए (₹ बिलियन)	187	199
2. सकल एनपीए अनुपात (%)	7.2	7.1
3. निवल एनपीए (₹ बिलियन)	68	72
4. निवल एनपीए अनुपात (%)	2.7	2.7
5. प्रावधानीकरण (₹ बिलियन)	119	127
6. प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात (%)	63.7	63.7

टिप्पणी : वर्ष 2018 से संबंधित आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत : भा.रि.बैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

लाभ में कमी आई। वर्ष के दौरान ऋणों और अग्रिमों में वृद्धि होने के बावजूद ब्याज से होने वाली आय कम होना इस अवधि के दौरान ब्याज दरों में कमी का संकेत हो सकता है। एसयूबी के संबंध में ब्याज पर होने वाले व्यय में कमी होने की घोषणा के कारण कुल व्यय मंद रहा और यह एसयूसीबी एवं एनएसयूसीबी –दोनों के मामले में निवल ब्याज आय में वृद्धि के रूप में परिणत हुआ (सारणी V.8)।


सारणी V.8: अनुसूचित और गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के वित्तीय कार्यनिष्पादन

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	अनुसूचित यूसीबी		गैर-अनुसूचित यूसीबी		सभी यूसीबी		सभी यूसीबी में घट-बढ़ (%)	
	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ए. कुल आय (i + ii)	231	232	294	302	526	534	9.8	1.5
	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		
i. ब्याज से होने वाली आय	202	202	273	283	475	485	6.9	2.1
	(87.3)	(87.1)	(92.8)	(93.8)	(90.4)	(90.9)		
ii. ब्याज से इतर होने वाली आय	29	30	21	19	51	49	48.6	-4.1
	(12.7)	(12.9)	(7.2)	(6.2)	(9.6)	(9.1)		
बी. कुल व्यय (i + ii)	194	194	253	256	447	450	8.6	0.7
	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		
i. ब्याज से होने वाली आय	143	136	190	188	333	324	7.8	-2.6
	(73.8)	(70.1)	(75.0)	(73.5)	(74.5)	(72.0)		
ii. ब्याज से इतर होने वाली आय	51	58	63	68	114	126	9.9	10.4
	(26.2)	(29.9)	(25.0)	(26.5)	(25.5)	(28.0)		
जिसमें से : स्टाफ पर व्यय	24	25	34	36	58	61	9.9	4.7
सी. लाभ								
i. परिचालनगत लाभ की राशि	37	38	42	46	78	83	17.0	6.3
ii. प्रावधान, आकरिमिक निधियां	14	16	11	12	25	27	49.5	8.6
iii. करों के लिए प्रावधान	7	8	7	8	14	15	3.7	10.0
iv. कर पूर्व निवल लाभ राशि	23	22	31	34	53	56	6.0	5.2
v. कर पश्चात निवल लाभ राशि	16	14	24	26	39	41	6.8	3.5

टिप्पणियां : 1. वर्ष 2017-18 से संबंधित आंकड़े अनंतिम हैं।
 2. पूर्णांकन के कारण कुल जोड़ घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।
 3. प्रतिशत घट-बढ़ थोड़ा भिन्न हो सकती है क्योंकि निरपेक्ष संख्याओं को बिलियन रुपयों में पूर्णांकित कर दिया गया है।
 4. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल आय/व्यय के हिस्से को दर्शाते हैं।

स्रोत : भा.रि.बैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।



V.25 वर्ष 2017-18 में यूसीबी की आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) तथा इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) में मंदी आई (सारणी V.9)।

सारणी V.9: यूसीबी के चुनिंदा वित्तीय संकेतक (प्रतिशत)

संकेतक	अनुसूचित यूसीबी		गैर-अनुसूचित यूसीबी		सभी यूसीबी	
	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18
1	2	3	4	5	6	7
आस्तियों पर प्रतिलाभ	0.65	0.55	0.88	0.90	0.77	0.74
इक्विटी पर प्रतिलाभ	8.34	7.03	9.70	9.88	9.11	8.65
निवल ब्याज मार्जिन	2.43	2.54	3.11	3.25	2.79	2.92

टिप्पणी : वर्ष 2017-18 से संबंधित आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत : भा.रि.बैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

V.26 मार्च 2018 के अंत की स्थिति के अनुसार, असमग्र स्तर पर एनएसयूसीबी से संबंधित आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) तथा इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) में और बेहतरी आई तथा ये एसयूसीबी की तुलना में उच्च स्तर पर रहे (चार्ट V.14)। रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षीय विवरणियों पर आधारित नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि 2018-19 के पूर्वार्द्ध में एसयूसीबी की आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) में पुनरुज्जीवन हुआ और यह बढ़कर 0.72 प्रतिशत हो गया, जिसमें 2017-18 में कमी हो गई थी।

2.6 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले अग्रिम


V.27 यूसीबी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) के 40 प्रतिशत के तुल्य या तुलन-पत्रेतर एक्सपोजरों की राशि के तुल्य, जो भी अधिक हो, ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को देने का लक्ष्य हासिल करें। इस समग्र लक्ष्य के अंतर्गत, कमजोर तबकों को 10 प्रतिशत अग्रिम दिए जाने का उप-लक्ष्य अनिवार्य किया गया है। यूसीबी के शहरी

क्षेत्र में केंद्रित होने के कारण उनके लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान के अंतर्गत कृषि ऋण देना अनिवार्य नहीं है। फलस्वरूप, कृषि ऋण प्रदान करने में उनकी हिस्सेदारी बहुत कम है। विनियामकीय अनुमति के साथ ही साथ वित्तीय रूप से मजबूत और सुप्रबंधित (एफएसडब्लूएम) यूसीबी के रूप में वर्गीकृत करने के लिए 1 अप्रैल 2018 से रिजर्व बैंक यूसीबी द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त किए जाने को ध्यान में रखता है।

V.28 यूसीबी द्वारा कुल अग्रिमों की तुलना में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम प्रदान करने की हिस्सेदारी में 2016-17 में गिरावट आने के बाद 2017-18 के दौरान इसमें वृद्धि हुई। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिमों के अंतर्गत, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का हिस्सा सर्वाधिक था, इसके बाद आवास ऋणों का स्थान रहा (सारणी V.10)। यूसीबी ने आमतौर पर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र संबंधी निर्धारित लक्ष्यों से अधिक कार्य किया है। वर्ष 2017-18 में कुल अग्रिमों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करने में यूसीबी की हिस्सेदारी 46.6 प्रतिशत रही।

V.29 यूसीबी द्वारा कमजोर तबकों को दिया जाने वाले अग्रिम, जो 2015-16 तक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण का एक चौथाई से अधिक हिस्सा निर्मित करते थे, में अगले दो वर्षों में कमी आई। यूसीबी द्वारा कमजोर तबकों को दिए जाने वाले ऋण में एक वर्ष पहले गिरावट आने के बाद 2017-18 में वृद्धि हुई और उनके एएनबीसी के 10 प्रतिशत के लक्ष्य के करीब बनी रही (चार्ट V.15)।

चार्ट V.14: यूसीबी की लाभप्रदता



सारणी V.10: यूसीबी द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए गए ऋण का संघटन

(राशि ₹ बिलियन में)


मद	2016-17		2017-18	
	राशि	कुल अग्रिमों में हिस्सेदारी (%)	राशि	कुल अग्रिमों में हिस्सेदारी (%)
1. कृषि [(i)+(ii)]	76	3.0	94	3.4
(i) कृषि (प्रत्यक्ष ऋण)	32	1.2	41	1.5
(ii) कृषि (अप्रत्यक्ष ऋण)	44	1.7	53	1.9
2. सूक्ष्म एवं लघु उद्योग [(i) + (ii)]	732	28.0	812	29.0
(i) सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को दिया गया प्रत्यक्ष ऋण	576	22.1	641	22.9
(ii) सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को दिया गया अप्रत्यक्ष ऋण	156	6.0	171	6.1
3. सूक्ष्म ऋण	108	4.1	111	4.0
4. एससी/एसटी के लिए राज्य द्वारा प्रायोजित संगठन	2	0.1	2	0.1
5. शिक्षा ऋण	22	0.8	24	0.9
6. आवास ऋण	253	9.7	265	9.4
7. कुल (1 से 6)	1192	45.6	1,308	46.6
जिसमें से, कमजोर तबकों को दिया गया अग्रिम	271	10.4	312	11.1

टिप्पणियां : 1. वर्ष 2018 से संबंधित आंकड़े अनंतिम हैं।
2. पूर्णांकन के कारण कुल जोड़ घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।
स्रोत : भा.रि.बैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।



3. ग्रामीण सहकारी संस्थान

V.30 ग्रामीण सहकारी बैंकों को, जिनकी स्थापना कृषकों को वहनीय ऋण प्रदान करने से संबंधित 'अंतिम मील' की समस्या का समाधान करने के लिए की गई थी, व्यापक रूप से अल्पावधिक एवं दीर्घावधिक संस्थानों में वर्गीकृत किया जा सकता है जिनमें से प्रत्येक को विशिष्ट अधिदेश हो। अल्पावधिक सहकारी संस्थानों, नामतः राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी),

जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (डीसीसीबी) एवं प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) का ध्यान प्राथमिक रूप से फसल ऋण प्रदान करने तथा कृषकों और ग्रामीण कारीगरों को कार्यशील पूंजीगत ऋण उपलब्ध कराने पर रहा है। नाबार्ड से पुनर्वित्त सहायता के साथ उन्होंने अधिक व्यापक रूप से कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में निवेश के लिए मध्यावधिक-ऋण प्रदान करने के रूप में अपने कार्य में विविधता लाई है। राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी) तथा प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (पीसीएआरडीबी) जैसे दीर्घावधिक-ऋण प्रदान करने वाले सहकारी बैंक भूमि विकास, फॉर्मों के मशीनीकरण, लघु सिंचाई, ग्रामीण उद्योगों जैसी गतिविधियों के लिए मध्यावधिक एवं दीर्घावधिक ऋण प्रदान करते हैं। हाल ही में आवास ऋण को भी इसके अंतर्गत लाया गया है। कुल आस्तियों में ग्रामीण सहकारी बैंकों की हिस्सेदारी 94.3 प्रतिशत की रही है, जबकि वर्षों के दौरान दीर्घावधिक ऋण प्रदान करने वाले बैंकों की हिस्सेदारी कम हुई है (चार्ट V.16)।



V.31 वर्ष 2015-16 में सूखे की परिस्थितियों के कारण ग्रामीण सहकारी बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण में तेजी से मंदी आई है। 2016-17 में मानसून के सामान्य रहने के कारण बहाली की शुरुआत हुई जिसके कारण इन संस्थानों के अन्य गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान करने में आई कमी के प्रभाव को समाप्त कर दिया (चार्ट V.17)।



V.32 ग्रामीण सहकारी बैंकों के बीच, एसटीसीबी ने प्रभावी भूमिका का निर्वाह किया। कुल आस्तियों में 23 प्रतिशत हिस्सेदारी 33 एसटीसीबी की रही, जबकि कुल

आस्तियों में 95,595 पीएसीएस की इतनी ही धारित हिस्सेदारी रही (सारणी V.11)।

सारणी V.11: ग्रामीण सहकारी संस्थानों का प्रोफाइल
(मार्च 2017 के अंत में)

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	अल्पावधिक			दीर्घावधिक	
	एसटीसीबी	डीसीसीबी	पीएसीएस	एससीएआरडीबी	पीसीएआरडीबी
1	2	3	4	5	6
ए. सहकारी संस्थानों की संख्या	33	370	95,595	13	601
बी. तुलन-पत्र के संकेतक					
i. स्वाधिकृत (पूजी + आरक्षित निधियाँ)	154	384	330	43	27
ii. जमाराशिया	1,220	3,309	1,159	24	13
iii. उधारियां	809	914	1,248	155	155
iv. ऋण एवं अग्रिम	1,270	2,527	2,009	212	151
v. कुल देयताएं/आस्तियां	2,329	5,055	2,400*	304	291
सी. वित्तीय कार्यनिष्पादन					
i. लाभ में रहने वाले संस्थान					
क. संख्या	31	315	46,586	8	236
बी. लाभ की राशि	10	17	64.7	0.7	1.2
ii. हानि में रहने वाले संस्थान					
क. संख्या	2	55	38,036	5	362
बी. लाभ की राशि	0.2	8	32.1	2.52	6.5
iii. समग्र लाभ (+)/हानि (-)	9.8	9	33.6	-1.83	-5.7
डी. अर्नजक आस्तियां					
i. राशि	52	265	533	52	49
ii. बकाया ऋण के प्रतिशत के रूप में	4.1	10.5	26.6	23.6	33
ई. मांग अनुपात की तुलना में ऋण की वसूली ** (प्रतिशत)	93.5	78.9	73.4	50.8	44.3

टिप्पणी : एसटीसीबी : राज्य सहकारी बैंक; डीसीसीबी : जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक; पीएसीएस : प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी; एससीएआरडीबी : राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक; पीसीएआरडीबी : प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक * कार्यशील पूंजी ** यह अनुपात बकाया अर्नजक ऋण राशि के उस हिस्से को दर्शाता है जिसकी वसूली की जा चुकी है।


स्रोत : नाबार्ड और एनएफएससीओबी⁵

⁵ नाबार्ड : राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक; एनएफएससीओबी : राज्य सहकारी बैंकों का राष्ट्रीय परिसंघ।

V.33 रिजर्व बैंक तथा नाबार्ड द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के कारण वर्षों के दौरान अल्पावधिक ग्रामीण सहकारी बैंकों के समग्र वित्तीय कार्यनिष्पादन में सुधार हुआ। दूसरी ओर, दीर्घावधिक सहकारी संस्थान आस्ति गुणवत्ता एवं लाभप्रदता में निरंतर हास से जूझते रहे हैं।

3.1 अल्पावधिक ग्रामीण ऋण सहकारी संस्थान

V.34 अल्पावधिक ग्रामीण सहकारी क्षेत्र की त्रिस्तरीय संरचना होती है। प्रत्येक राज्य में एसटीसीबी शीर्ष संस्थान होता है, जिला स्तर पर डीसीसीबी और आधार (ग्राम) स्तर पर पीएसीएस परिचालनरत होते हैं। हालांकि, नौ राज्यों और चार संघ शासित क्षेत्रों में अल्पावधिक ऋण सहकारी संस्थान द्वि-स्तरीय संरचना के माध्यम से परिचालनरत हैं, जिसके तहत शीर्ष स्तर पर एसटीसीबी होता है और ग्राम स्तर पर पीएसीएस होते हैं। एसटीसीबी जमाराशि जुटाते हैं और डीसीसीबी तथा पीएसीएस को चलनिधि का सहारा उपलब्ध कराते हैं। 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार, अल्पावधिक सहकारी बैंकों की स्रोत संरचना से निधीयन के स्रोत के बीच एसटीसीबी और डीसीसीबी की जमाराशियों पर निर्भरता का पता चला (चार्ट V.18)। दूसरी तरफ, पीएसीएस को जमाराशियां जुटाने



और सदस्य कृषकों को फसल ऋण एवं कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने का अधिदेश है। सदस्यों द्वारा जमाराशियों के रूप में आपूर्ति से अधिक ऋण की मांग होने पर इन संस्थानों को उधार लेना पड़ता है। मार्च 2017 के अंत में, कुल उधार में सभी अल्पावधिक ग्रामीण सहकारी बैंकों द्वारा लिए गए उधार की 42 प्रतिशत हिस्सेदारी रही। आस्ति गुणवत्ता एवं लाभप्रदता की दृष्टि से 2016-17 में एसटीसीबी के समग्र वित्तीय कार्यनिष्पादन में सुधार हुआ, जबकि डीसीसीबी के कार्यनिष्पादन में कमी हुई।


3.1.1 राज्य सहकारी बैंक

V.35 अल्पावधिक ग्रामीण ऋण संरचना के अंतर्गत एसटीसीबी शीर्ष संस्थान होते हैं, जिनका प्राथमिक अधिदेश उनके साथ संलग्न डीसीसीबी और पीएसीएस की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना होता है। निचले टिअर के पीएसीएस जैसे संस्थानों को चलनिधि तथा तकनीकी सहयोग प्रदान करने के लिए वे जमाराशि जुटाने के अलावा नाबार्ड जैसे संस्थानों से चलनिधि एवं पुनर्वित्त का सहयोग भी लेते हैं। इसका जिक्र पहले किया गया है।

तुलन-पत्र के परिचालन

V.36 एसटीसीबी के समेकित तुलन-पत्र में होने वाली वृद्धि आमतौर पर ऋणों और अग्रिमों के रूप में आस्ति पक्ष के विस्तार से जुड़ी हुई है, जबकि ऋण-मांग की तुलना में जमाराशियों में होने वाली कमी की भरपाई देयता पक्ष से हुई, जैसा कि पहले जिक्र किया गया है। 2016-17 में उनके तुलन-पत्र में काफी विस्तार हुआ, जो जमाराशियों के मजबूती से होने वाले एकत्रण के रूप में था, जिसके कारण विगत वर्ष तुलन-पत्र में हुई कमजोर वृद्धि का असर समाप्त हुआ (चार्ट V.19)।

V.37 वर्ष 2016-17 में एसटीसीबी की जमाराशियों में हुई तीव्र वृद्धि, जो सात वर्षों का उच्चतम स्तर है, का बड़ा कारण विमुद्रीकरण था, क्योंकि ग्रामीण सहकारी बैंकों के बीच सिर्फ



एसटीसीबी को ही विमुद्रीकृत नोट स्वीकार करने की अनुमति दी गई थी। 2016-17 में तुलन-पत्र में होने वाले विस्तार को पूंजी⁶ में हुई कमी ने अंशतः समाप्त किया। एसटीसीबी को और उधार प्रदान करने हेतु एसटी-एसएओ योजना के तहत भारत सरकार द्वारा नाबार्ड को मंजूर की गई 20,000 करोड़ की अतिरिक्त राशि और नाबार्ड की अल्पावधिक मौसमी कृषिगत परिचालन (एसटी-एसएओ) के तहत उपलब्ध कराई गई अतिरिक्त ऋण सुविधा के कारण एसटीसीबी की उधारियां अपेक्षाकृत अधिक हो गई थीं।

V.38 वर्ष 2016-17 में चलनिधि की अधिकता के फलस्वरूप एसटीसीबी ने ऋणों की सीमित मांग के चलते इन निधियों का निवेश कम/शून्य प्रतिफल वाले नकदी और बैंक जमाशेष में करना बेहतर समझा (सारणी V.12)।

V.39 एसटीसीबी के संबंध में धारा 42(2) विवरणियों के माध्यम से प्राप्त होने वाली अद्यतन सूचना से पता चलता है कि 2017-18 में ऋण वृद्धि की अच्छी बहाली हुई। इसके अलावा, एसएलआर लिखतों में होने वाले निवेशों में पिछले वर्षों की तुलना में काफी वृद्धि हुई (सारणी V.13)।

सारणी V.12: राज्य सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घट-बढ़	
	2016	2017	2015-16	2016-17
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	56 (2.7)	52 (2.2)	5.0	-7.1
2. आरक्षित निधियाँ	94 (4.6)	103 (4.4)	7.1	9.6
3. जमा राशियां	1,093 (52.9)	1,220 (52.4)	6.3	11.6
4. उधारियां	688 (33.3)	809 (34.7)	0.1	17.6
5. अन्य देयताएं	136 (6.6)	145 (6.2)	3.5	6.6
आस्तियां				
1. नकद और बैंक में जमाशेष	64 (3.1)	97 (4.2)	-3.8	51.6
2. निवेश	690 (33.4)	846 (36.3)	-1.2	22.6
3. ऋण एवं अग्रिम	1,229 (59.4)	1,270 (54.6)	7.3	3.4
4. अन्य आस्तियां	85 (4.1)	116 (5.0)	8.5	36.2
कुल देयताएं/आस्तियां	2,067 (100.0)	2,329 (100.0)	4.0	12.7

टिप्पणियां : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं/आस्तियों के अनुपात (प्रतिशत में) को दर्शाते हैं।
2. प्रतिशत घट-बढ़ थोड़ा भिन्न हो सकती है क्योंकि निरपेक्ष संख्याओं को बिलियन रुपयों में पूर्णांकित कर दिया गया है।
3. पूर्णांकन के कारण कुल जोड़ घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।

स्रोत : नाबार्ड।

⁶ पूंजी में होने वाली कमी का कारण लेखांकन का पुनर्समायोजन था। 2015-16 में एक एसटीसीबी ने राज्य सरकार द्वारा दी गई ऋण माफी को अपनी आरक्षित शेयर पूंजी में दर्शाया। हालांकि, नाबार्ड के निरीक्षण के बाद 2016-17 में इसे अन्य आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया। परिणामस्वरूप, 2016-17 में अन्य आस्तियों में वर्ष-दर-वर्ष काफी वृद्धि देखी गई, जबकि पूंजी में कमी हुई।

सारणी V.13: अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों के चयनित तुलन-पत्र संकेतकों की प्रवृत्तियां

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1	2	3	4	5	6
जमाराशियां	777 (8.7)	772 (-0.6)	796 (3.0)	903 (13.5)	988 (9.4)
ऋण	939 (10.0)	1,038 (10.6)	1,074 (3.4)	1,109 (3.3)	1,180 (6.4)
एसएलआर निवेश	240 (7.0)	233 (-3.1)	242 (4.0)	262 (8.3)	334 (27.4)
ऋण और एसएलआर निवेश का जोड़	1,179 (9.4)	1,271 (7.8)	1,316 (3.5)	1,372 (4.2)	1,514 (10.4)

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत में वृद्धि दर को दर्शाते हैं।

स्रोत : भा.रि. बैंक अधिनियम की धारा 42 के तहत प्रपत्र-बी।

लाभप्रदता

V.40 वर्ष 2016-17 में एसटीसीबी के निवल लाभ में उल्लेखनीय परिवर्तन आया क्योंकि ब्याज दरों में कमी होने के कारण ब्याज पर होने वाले व्यय के घट जाने से व्यय में गिरावट आई। साथ ही, एनपीए में कमी होने तथा ऋण वृद्धि मंद रहने के कारण अपेक्षाकृत कम प्रावधानों की अनिवार्यता हुई। दूसरी ओर, परिचालनगत व्ययों में काफी वृद्धि होने के कारण 2015-16 में गिरावट होने के बाद 2016-17 में एसटीसीबी के परिचालनगत लाभ में और अधिक कमी हुई (सारणी V.14)। ऐसा होना इन संस्थाओं की अपेक्षाकृत न्यून परिचालनगत दक्षता का द्योतक है।

आस्ति गुणवत्ता

V.41 रिज़र्व बैंक एवं नाबार्ड द्वारा किए गए उपायों एवं उनके द्वारा पुनर्वित्त लिए जाने को उनके कार्यनिष्पादन के मानकों, जैसे एनपीए अनुपात एवं सीआरएआर, के साथ जोड़े जाने के कारण एसटीसीबी की आस्ति गुणवत्ता में वर्षों के दौरान निरंतर सुधार हुआ, जो यूसीबी एवं एससीबी की तुलना में भी बेहतर रहा (चार्ट V.20)।

V.42 एसटीसीबी की आस्ति गुणवत्ता में निरंतर सुधार का वर्ष 2016-17 में उनके एनपीए में होने वाले अपेक्षाकृत कम जमाव से भी पता चलता है। अवमानक आस्तियों तथा संदिग्ध आस्तियों –दोनों में कमी हुई, जबकि मांग की तुलना में वसूली अनुपात में सुधार आया (सारणी V.15)।

सारणी V.14: राज्य सहकारी बैंकों का वित्तीय कार्यनिष्पादन

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	के दौरान		घट-बढ़ (%)	
	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17
1	2	3	4	5
ए. आय	153	152	2.6	-0.7
	(100.0)	(100.0)		
i. ब्याज से होने वाली आय	145 (95.9)	149 (97.8)	1.6	2.6
ii. अन्य आय	8 (5.0)	3 (1.9)	27	-3.4
बी. व्यय (i + ii + iii)	147	143	6.3	-2.7
	(100.0)	(100.0)		
i. व्यय किया गया ब्याज	119 (80.8)	115 (70.8)	3	-3.5
ii. प्रावधान और आकस्मिक निधियां	12 (8.0)	9 (7.9)	61.8	-33.3
iii. परिचालनगत व्यय	16 (11.2)	19 (21.2)	4.8	15.8
जिसमें से : मजदूरी बिल	11 (7.3)	11 (13.6)	11.6	0
सी. लाभप्रदता				
परिचालनगत लाभ	18	15	-1.8	-16.7
निवल लाभ	6	10	-44.5	66.7


टिप्पणियां : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं/आस्तियों के अनुपात (प्रतिशत में) को दर्शाते हैं।

2. प्रतिशत घट-बढ़ थोड़ा भिन्न हो सकती है क्योंकि सारणी में निरपेक्ष संख्याओं को बिलियन रुपयों में पूर्णांकित कर दिया गया है।

3. पूर्णांकन के कारण कुल जोड़ घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।

स्रोत : नाबार्ड।

V.43 केंद्रीय क्षेत्र को छोड़कर, अन्य सभी क्षेत्रों के एनपीए अनुपात में काफी अंतर होने के बावजूद स्थानिक और कालिक दृष्टि से इसमें सुधार हुआ (चार्ट V.21ए)। उत्तरी



सारणी V.15: राज्य सहकारी बैंकों के सुदृढ़ता संकेतक

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	मार्च के अंत में		घट-बढ़ (%)	
	2016	2017	2015-16	2016-17
1	2	3	4	5
ए. कुल एनपीए (i + ii + iii)	56	52	-2.8	-7.1
i. अवमानक	19	16	-9.1	-15.8
	(33.9)	(30.8)		
ii. संदिग्ध	25	24	0.9	-4
	(44.9)	(46.2)		
iii. हानि	12	12	0.6	0
	(21.2)	(23.1)		
बी. ऋण की तुलना में एनपीए अनुपात (%)	4.5	4.1	-	-
सी. मांग की तुलना में वसूली अनुपात (%)	91.7	93.5	-	-

टिप्पणियां : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल एनपीए में हिस्सेदारी को दर्शाते हैं।
2. निरपेक्ष संख्याओं का पूर्णांकन किया गया है, जिसके कारण वर्ष-दर-वर्ष घट-बढ़ थोड़ी भिन्न हो सकती है।
3. पूर्णांकन के कारण कुल जोड़ घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।

स्रोत : नाबार्ड।

क्षेत्र का एनपीए अनुपात सबसे कम तथा मांग की तुलना में वसूली अनुपात सबसे अधिक था, जबकि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का एनपीए स्तर उच्च रहा और वसूली अनुपात निम्न स्तर पर रहा (चार्ट V.21बी)।

3.1.2 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (डीसीसीबी)

V.44 डीसीसीबी, जो अल्पावधिक ग्रामीण सहकारी संरचना का दूसरा स्तर है, ने अपनी जमाराशियों और एसटीसीबी तथा नाबार्ड से लिए गए उधार का प्रयोग अपने सदस्यों को ऋण उपलब्ध कराने तथा पीएसीएस को और आगे ऋण प्रदान करने के लिए किया। वर्ष 2016-17 में, एसटीसीबी की

तुलना में डीसीसीबी के संयुक्त तुलन-पत्र में कम विस्तार हुआ (चार्ट V.22ए)।

V.45 एसटीसीबी का ऋण-जमा अनुपात डीसीसीबी की तुलना में हमेशा अधिक रहता आया है, क्योंकि बाद वाले (डीसीसीबी) की जमाराशि की बुनियाद अधिक मजबूत होती है। एसटीसीबी की जमाराशियों में तीव्र वृद्धि होने के कारण 2016-17 में दोनों के बीच अंतराल कम हुआ (चार्ट V.22बी)।


तुलन-पत्र के परिचालन


V.46 वर्ष 2016-17 में डीसीसीबी के समेकित तुलन-पत्र की वृद्धि मंद हुई। आस्ति पक्ष में, ऋणों एवं अग्रिमों, जिसका निवेश सहित कुल आस्तियों में 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा होता है, में ऋण की कमजोर मांग के कारण मंदी आई। देयता पक्ष में, पूंजी, जमाराशियों तथा अन्य देयताओं की वृद्धि में कमी आई। डीसीसीबी के संसाधनों का 70 प्रतिशत से अधिक हिस्सा जमाराशियों से निर्मित हुआ और फलस्वरूप उनकी वृद्धि में मंदी आने का प्रभाव निवेशों के साथ ही साथ ऋणों और अग्रिमों पर भी पड़ा (सारणी V.16)।

लाभप्रदता

V.47 वर्ष 2016-17 में डीसीसीबी की लाभप्रदता में परिचालनगत लाभ एवं निवल लाभ –दोनों रूप में गिरावट

चार्ट V.21: एसटीसीबी : क्षेत्रीय प्रवृत्तियां





सारणी V.16: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	मार्च के अंत में		घट-बढ़ (%)	
	2016	2017	2015-16	2016-17
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	165 (3.6)	187 (3.7)	25.6	13.3
2. आरक्षित निधियाँ	175 (3.8)	198 (3.9)	7.9	13.1
3. जमाराशियां	2,982 (65.1)	3,309 (65.5)	15.2	11.0
4. उधारियाँ	836 (18.2)	914 (18.1)	4.5	9.3
5. अन्य देयताएं	424 (9.3)	447 (8.8)	7.3	5.4
आस्तियां				
1. नकद एवं बैंकों में जमा शेष	233 (5.1)	329 (6.5)	5.7	41.2
2. निवेश	1,615 (35.3)	1,691 (33.5)	16.7	4.7
3. ऋण एवं अग्रिम	2,427 (53.0)	2,527 (50.0)	10.6	4.1
4. अन्य आस्तियां	307 (6.7)	508 (10.0)	10.5	65.5
कुल देयताएं/आस्तियां	4,582 (100.0)	5,055 (100.0)	12.4	10.3

टिप्पणियां : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं/आस्तियों के अनुपात को (प्रतिशत में) दर्शाते हैं।
2. प्रतिशत घट-बढ़ थोड़ा भिन्न हो सकती है क्योंकि सारणी में निरपेक्ष संख्याओं को बिलियन रुपयों में पूर्णांकित कर दिया गया है।
3. पूर्णांकन के कारण कुल जोड़ घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।

स्रोत : नाबार्ड।

आई। आय एवं व्यय –दोनों में कमी होने के बावजूद पहले (आय) में तीव्र मंदी हाने के कारण आधार रेखा (बॉटम लाइन) पर विपरीत असर पड़ा (सारणी V.17)।

सारणी V.17: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का वित्तीय कार्यनिष्पादन

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	के दौरान		घट-बढ़ (%)	
	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17
1	2	3	4	5
ए. कुल आय (i + ii)				
	367 (100.0)	385 (100.0)	8.4	4.9
i. ब्याज से होने वाली आय	347 (94.8)	378 (98.1)	7.7	8.9
ii. ब्याज से इतर होने वाली आय	19 (5.2)	7 (1.9)	23.2	-63.2
बी. कुल व्यय (i+ii+iii)				
	355 (100.0)	376 (100.0)	7.3	5.9
i. व्यय किया गया ब्याज	250 (70.4)	268 (71.4)	8.8	7.2
ii. प्रावधान और आकस्मिकताएँ	29 (8.1)	30 (7.9)	-4	3.4
iii. परिचालनगत व्यय	76 (21.5)	78 (20.7)	6.9	2.6
जिसमें से : वेतन बिल	48 (13.5)	50 (13.2)	10.7	4.2
सी. लाभ				
i. परिचालनगत लाभ	40	33	8.4	-17.5
ii. निवल लाभ	11	9	62.5	-18.2

टिप्पणियां : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं/आस्तियों के अनुपात को (प्रतिशत में) दर्शाते हैं।
2. वर्ष-दर-वर्ष घट-बढ़ थोड़ी भिन्न हो सकती है क्योंकि सारणी में निरपेक्ष संख्याओं को ₹1 बिलियन में पूर्णांकित कर दिया गया है।
3. पूर्णांकन के कारण कुल जोड़ घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।

स्रोत : नाबार्ड।

आस्ति गुणवत्ता

V.48 वर्ष 2016-17 के दौरान, डीसीसीबी की आस्ति गुणवत्ता में कमी आई। अवमानक और हानि –दोनों श्रेणियों में वृद्धि होने के साथ एनपीए अनुपातों में अत्यधिक वृद्धि भी इसे दर्शाती है। इस कमी के लिए राज्य सरकारों द्वारा घोषित बहुत सी कर्ज माफी योजनाओं को अंशतः जिम्मेदार ठहराया जा सकता है (सारणी V.18)।


V.49 सामान्यतः, एसटीसीबी की तुलना में डीसीसीबी के एनपीए अपेक्षाकृत अधिक और मांग की तुलना में वसूली अनुपात अपेक्षाकृत कम होते हैं (चार्ट V.23)। कुल व्यय में उनके परिचालनगत व्ययों की हिस्सेदारी भी अपेक्षाकृत अधिक होती है। हालांकि, 2016-17 के दौरान उनके परिचालनगत व्ययों में काफी वृद्धि होने के कारण एसटीसीबी के कुल व्ययों में परिचालनगत व्ययों का हिस्सा डीसीसीबी से थोड़ा कम था (चार्ट V.24)।

V.50 एसटीसीबी की तरह, सभी क्षेत्रों में डीसीसीबी के वित्तीय हालात में काफी अंतर है। 2016-17 में उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में एनपीए अनुपात अपेक्षाकृत कम थे और मांग की तुलना में वसूली अनुपात अपेक्षाकृत अधिक थे, जबकि केंद्रीय

सारणी V.18: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के सुदृढ़ता संकेतक
(राशि ₹ बिलियन में)


मद	मार्च के अंत की स्थिति के अनुसार		घट-बढ़ (%)	
	2016	2017	2015-16	2016-17
1	2	3	4	5
ए. कुल एनपीए (i + ii + iii)	227	264	9	16.3
i. अवमानक	95	120	1.6	26.3
	(41.7)	(45.4)		
ii. संदिग्ध	109	120	19.6	10.1
	(48.1)	(45.4)		
iii. हानि	23	24	-2.2	4.3
	(10.2)	(9.1)		
बी. ऋण की तुलना में एनपीए अनुपात (%)	9.3	10.5	-	-
सी. मांग की तुलना में वसूली अनुपात (%)	79.6	78.9	-	-


टिप्पणियां : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं/आस्तियों के अनुपात को (प्रतिशत में) दर्शाते हैं।
2. वर्ष-दर-वर्ष घट-बढ़ थोड़ी भिन्न हो सकती है क्योंकि सारणी में निरपेक्ष संख्याओं को ₹1 बिलियन में पूर्णांकित कर दिया गया है।
3. पूर्णांकन के कारण कुल जोड़ घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।
स्रोत : नाबार्ड।



और पश्चिमी क्षेत्रों में एनपीए के उच्च स्तर तथा वसूली अनुपात के निम्न स्तर देखे गए (चार्ट V.25)।

V.51 हाल के वर्षों में, डीसीसीबी की आस्ति गुणवत्ता में सभी क्षेत्रों में आमतौर पर गिरावट आई। 2016-17 में, पूर्वी क्षेत्र में थोड़ी कमी को छोड़कर, उनके एनपीए अनुपातों में वृद्धि जारी रही (चार्ट V.26)।






3.1.3 प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी

V.52 त्रिस्तरीय ग्रामीण सहकारी संरचना में पीएसीएस का स्थान सबसे नीचे आता है, किंतु वे गांवों में अपने सदस्यों, नामतः किसानों और कारीगरों को अल्पावधिक और फसल ऋणों के रूप में वित्त की महत्वपूर्ण सुविधा प्रदान करते हैं। समय के दौरान, पीएसीएस ने कृषि/संलग्न गतिविधियों में निवेश के लिए पूंजी उपलब्ध कराने के माध्यम से अपने कार्यक्षेत्र में विस्तार किया है, साथ ही, उत्पादों के विपणन, भंडारण और निविष्टि लागत जैसी अन्य सेवाओं की व्यवस्था भी करती हैं।

तुलन-पत्र के परिचालन


V.53 पीएसीएस के ऋण पोर्टफोलियो में वृद्धि जारी रही, हालांकि, वर्ष 2016-17 में इसकी दर विगत वर्ष की तुलना में थोड़ी कम रही जो मुख्यतः अर्थव्यवस्था में विद्यमान मांग की कमजोर परिस्थितियों को दर्शाता है (चार्ट V.27)।


V.54 अतीत में, पीएसीएस डीसीसीबी और एसटीसीबी से उधार पर बहुत अधिक निर्भर थीं। हालांकि, वर्ष 2011-12 से उनके कुल संसाधनों में उधार की हिस्सेदारी में धीरे-धीरे कमी आई है, जबकि उनकी जमाराशियों की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई



है, जो उनके जमाकर्ताओं की बुनियाद में विस्तार का संकेतक है (चार्ट V.28)।

V.55 वर्ष 2016-17 में, पीएसीएस की उधारियों और जमाराशियों –दोनों में कमी हुई। हालांकि, पीएसीएस के कुल संसाधनों के अंतर्गत कुल आरक्षित निधियों में तेजी होने के कारण स्वाधिकृत निधियों में काफी बढ़ोतरी होने से वृद्धि हुई (सारणी V.19)।





V.56 पीएसीएस के कुल ऋणों में कृषि ऋणों की हिस्सेदारी में वर्ष 2011 से 55 से 60 प्रतिशत की घटबढ़ हुई (चार्ट V.29)।

V.57 पीएसीएस द्वारा उनके सदस्यों को ही ऋण प्रदान किए जाने के कारण सदस्यों की तुलना में उधारकर्ताओं का अनुपात वित्त पोषण करने संबंधी परिस्थितियों का उपयोगी संकेतक है। यह अनुपात 50 प्रतिशत से कम बना रहा, जो

इस बात का संकेतक है कि आधे से कम सदस्य ही इन संस्थानों से ऋण ले पाते हैं। ग्रामीण कारीगरों को छोड़कर सभी श्रेणियों में होने वाले सुधार के साथ सदस्य की तुलना में उधारकर्ता अनुपात 2015-16 के 36.3 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 39.6 प्रतिशत हो गया (चार्ट V.30)।

V.58 पीएसीएस के सदस्यों में 70 प्रतिशत सीमांत एवं लघु किसान होते हैं। वर्ष 2016-17 के दौरान, सीमांत किसानों तथा ग्रामीण कारीगरों की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई जबकि लघु किसानों की हिस्सेदारी में कमी आई। अनुसूचित जाति एवं


सारणी V.19: प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी


(राशि ₹ बिलियन में)

मद	मार्च के अंत में		घट-बढ़ (%)	
	2016	2017	2015-16	2016-17
1	2	3	4	5
ए. देयताएं				
1. कुल संसाधन (2+3+4)	2,382	2,737	15.5	15
2. स्वाधिकृत निधियां (क + ख)	244	330	12.8	34.9
क. चुकता पूंजी	123	141	11	15
जिनमें से,				
सरकारी योगदान	8	8	-4.3	3.9
ख. कुल आरक्षित निधियाँ	122	189	14.7	55.1
3. जमाराशियां	1,011	1,159	19.4	14.7
4. उधार राशियां	1,127	1,248	12.7	10.8
5. कार्यशील पूंजी	2,013	2,400	-10	19.2
बी. आस्तियां				
1. कुल बकाया ऋण (क + ख)	1,585	1,705	7.7	7.6
अ) अल्पावधिक	1,171	1,222	13	4.4
आ) मध्यावधिक	414	483	-5.1	16.5

टिप्पणी : वर्ष-दर-वर्ष प्रतिशत घट-बढ़ थोड़ी भिन्न हो सकती है क्योंकि निरपेक्ष संख्याओं को बिलियन रुपयों में पूर्णांकित कर दिया गया है।



स्रोत : एनएफएससीओबी।






अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की हिस्सेदारी में थोड़ी कमी आई (चार्ट V.31)।


V.59 पिछले पाँच वर्षों के दौरान घाटे में चल रही पीएसीएस का हिस्सा लगभग 40 प्रतिशत बना रहा। दूसरी ओर, लाभ में चल रही पीएसीएस की हिस्सेदारी में निरंतर वृद्धि हुई। मार्च 2017 के अंत में, कुल पीएसीएस में से घाटे में चल रही पीएसीएस 39.8 प्रतिशत थीं (मार्च 2016 में रहे 39.7 प्रतिशत



के स्तर से थोड़ा अधिक) जबकि लाभ में रहने वाली पीएसीएस 48.7 प्रतिशत थीं (चार्ट V.32)।

V.60 घाटे में चल रहीं पीएसीएस के क्षेत्रीय विस्तार से पता चलता है कि पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में लाभ में रहने वाली पीएसीएस की तुलना में उनकी संख्या अधिक रही। इसके विपरीत, अन्य क्षेत्रों में लाभ में रहने वाली पीएसीएस की संख्या घाटे में चलने वाली पीएसीएस की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ी (चार्ट V.33)।





हालांकि, दक्षिणी क्षेत्र को छोड़कर निवल लाभ ऋणात्मक रहे हैं (चार्ट V.34)।

3.2 दीर्घावधिक सहकारी संस्थान

V.61 दीर्घावधिक सहकारी संस्थान पूंजी निर्माण तथा ग्रामीण विकास परियोजनाओं को दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराने के माध्यम से कृषि उत्पादकता बढ़ाने और ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। दीर्घावधिक ग्रामीण सहकारी बैंकों के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं - राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी), जो राज्य स्तर पर परिचालनरत होते हैं तथा प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीबी), जो जिला/ब्लॉक स्तर पर परिचालनरत होते हैं। अल्पावधिक ऋण सहकारी बैंकों की देश भर में त्रि-स्तरीय एक समान संरचना होने से भिन्न दीर्घावधिक सहकारी संस्थानों की संरचना सभी राज्यों में अलग-अलग है। बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, गुजरात, असम तथा त्रिपुरा में पीसीएआरडीबी हैं ही नहीं। इन राज्यों में एससीएआरडीबी जिला स्तर पर अपनी शाखाओं के माध्यम से सीधे परिचालन करते हैं। अधिकांश अन्य राज्यों में, एससीएआरडीबी का परिचालन पीसीएआरडीबी के माध्यम

से होता है। हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल में मिलीजुली संरचना है, जहां पर एससीएआरडीबी पीसीएआरडीबी से और उनकी शाखाओं के माध्यम से भी परिचालन करते हैं। इसके विपरीत, असम और त्रिपुरा को छोड़कर उत्तर-पूर्वी राज्यों में दीर्घावधिक सहकारी बैंकों की अलग से कोई संरचना है ही नहीं।

3.2.1 राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक

V.62 एससीएआरडीबी नाबार्ड से ऋण लेकर पीसीएआरडीबी को या उनकी शाखाओं के माध्यम से सीधे किसानों को ऋण प्रदान करते हैं। हालांकि, संसाधनों की बुनियाद कमजोर होने, उत्पादों की प्रतिबंधित संख्या होने तथा सीमित पहुंच होने के कारण ये संस्थान आस्ति गुणवत्ता, लाभप्रदता एवं पूंजी पर्याप्तता की दृष्टि से कमजोर हैं।

तुलन-पत्र के परिचालन

V.63 एससीएआरडीबी के समेकित तुलन-पत्र में पिछले वर्ष कमी होने के बाद 2016-17 के दौरान इसमें विस्तार हुआ। देयताओं के पक्ष में, जमाराशियों और पूंजी में आमतौर पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जबकि समग्र वित्तीय स्थिति में गिरावट आने के साथ आरक्षित निधियों में कमी आई। आस्तियों के पक्ष में, कमजोर बुनियाद वाले निवेश और ऋणों तथा अग्रिमों में काफी वृद्धि होने के साथ सभी घटकों में वृद्धि हुई (सारणी V.20)।

लाभप्रदता

V.64 एससीएआरडीबी ने 2016-17 में निवल हानि होने की रिपोर्ट दी है, जबकि पिछले वर्ष व्यय में तीव्र वृद्धि होने और आय में मामूली गिरावट होने के चलते निवल लाभ हुआ था। व्यय में वृद्धि ब्याज पर होने वाले व्ययों, प्रावधानों तथा आकस्मिक निधियों के अपेक्षाकृत अधिक रहने के कारण हुई थी। इनमें से बाद वाले (प्रावधानों तथा आकस्मिक निधियों) को चूक में होने वाली उल्लेखनीय वृद्धि ने अनिवार्य बनाया। हालांकि, वे परिचालनगत व्ययों को पिछले वर्ष के स्तर पर

सारणी V.20: राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की देयताएं एवं आस्तियां

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	मार्च के अंत में		घट-बढ़ (%)	
	2016	2017	2015-16	2016-17
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	9 (3.3)	9 (3.0)	-6.8	0.0
2. आरक्षित निधियाँ	41 (14.9)	34 (11.2)	-37	-7.1
3. जमाराशियां	24 (8.7)	24 (7.9)	29.8	0.0
4. उधारियाँ	146 (53)	155 (51)	-9.5	6.2
5. अन्य देयताएं	55 (20.2)	82 (27.0)	-29.5	49.1
आस्तियां				
1. नकद एवं बैंकों में जमा शेष	4 (1.6)	5 (1.5)	4	25
2. निवेश	30 (10.8)	32 (10.5)	-1.3	6.7
3. ऋण एवं अग्रिम	204 (74.2)	212 (69.8)	-3.7	3.9
4. अन्य आस्तियां	37 (13.4)	55 (18.0)	-57.3	48.6
कुल देयताएं / आस्तियां	275 (100.0)	304 (100.0)	-17.3	10.5

टिप्पणियां: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं/आस्तियों के अनुपात को (प्रतिशत में) दर्शाते हैं।
2. वर्ष-दर-वर्ष घट-बढ़ थोड़ी भिन्न हो सकती है क्योंकि सारणी में निरपेक्ष संख्याओं को ₹1 बिलियन में पूर्णांकित कर दिया गया है।
3. पूर्णांकन के कारण कुल जोड़ घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।
स्रोत: नाबार्ड।

सीमित रखने में समर्थ रहे और इस प्रकार से परिचालनगत लाभ दर्ज कर पाए (सारणी V.21)।

आस्ति गुणवत्ता

V.65 एससीएआरडीबी की आस्ति गुणवत्ता में वर्ष 2012-13 से निरंतर सुधार होने के बाद वर्ष 2016-17 में गिरावट आई (चार्ट V.35)।

V.66 एनपीए के तहत सबसे बड़े हिस्से को निर्मित करने वाली संदिग्ध आस्तियां दोगुनी हो गईं। एनपीए की अवधि में वृद्धि होने से पता चलता है कि इस रुग्णता की जड़ें बहुत गहरी हो सकती हैं (सारणी V.22)।

क्षेत्रीय कार्य-निष्पादन

V.67 एनपीए अनुपात के बढ़ने और वसूली अनुपात के कम होने के कारण वर्ष 2016-17 के दौरान केंद्रीय क्षेत्र में


सारणी V.21: राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों का वित्तीय कार्यनिष्पादन

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	के दौरान		प्रतिशत घट-बढ़	
	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17
1	2	3	4	5
ए. आय (i + ii)	22.0	21.9	-12.1	-0.1
	(100.0)	(100.0)		
i ब्याज से होने वाली आय	22.0 (97.2)	20.7 (94.2)	-11.4	-5.9
ii अन्य आय	0.6 (2.8)	1.3 (5.8)	-30.8	113.3
बी. व्यय (i + ii + iii)	22.0	24.0	-23.9	9.1
	(100.0)	(100.0)		
i व्यय किया गया ब्याज	14.0 (63.9)	15.0 (62.5)	-21.6	7.1
ii प्रावधान और आकस्मिकताएँ	4.0 (17.3)	5.0 (20.8)	-37.7	25.0
iii परिचालनगत व्यय	4.0 (18.8)	4.0 (16.7)	-15.5	0.0
सी. लाभ				
i. परिचालनगत लाभ	4.0	6.0	71.1	50.0
ii. निवल लाभ	0.03	-2.0	100.8	-

टिप्पणियां: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं/आस्तियों के अनुपात को (प्रतिशत में) दर्शाते हैं।
2. वर्ष-दर-वर्ष घट-बढ़ थोड़ी भिन्न हो सकती है क्योंकि सारणी में निरपेक्ष संख्याओं को ₹1 बिलियन में पूर्णांकित कर दिया गया है।
3. पूर्णांकन के कारण कुल जोड़ घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।
स्रोत: नाबार्ड।

एससीएआरडीबी के वित्तीय कार्य-निष्पादन में गिरावट आई। वसूली अनुपात के अधिक और एनपीए अनुपात के कम रहने



सारणी V.22: राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की आस्ति गुणवत्ता

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घट-बढ़	
	2016	2017	2015-16	2016-17
1	2	3	4	5
ए. कुल एनपीए (i+ii+iii)	34	50	-47.3	47.1
i) अवमानक	19	20	-22.2	5.3
	(56.4)	(40.0)		
ii) संदिग्ध	15	30	-62.5	100
	(43.4)	(60.0)		
iii) हानि	0.1	0.01	-86.7	-90
	(0.2)	(0.02)		
बी. ऋण की तुलना में एनपीए अनुपात (%)	16.6	23.6	-	-
सी. मांग की तुलना में वसूली अनुपात (%)	63.6	50.8	-	-

टिप्पणियां : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं/आस्तियों के अनुपात को (प्रतिशत में) दर्शाते हैं।
2. वर्ष-दर-वर्ष घट-बढ़ थोड़ी भिन्न हो सकती है क्योंकि सारणी में निरपेक्ष संख्याओं को ₹1 बिलियन में पूर्णांकित कर दिया गया है।
3. पूर्णांकन के कारण कुल जोड़ घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।

स्रोत : नाबार्ड।

से दक्षिणी क्षेत्र में एससीएआरडीबी सबसे मजबूत बने रहे (चार्ट V.36)।

3.2.2 प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक

V.68 पीसीएआरडीबी दीर्घावधिक सहकारी ऋण संरचना के निम्नतम स्तर को दर्शाते हैं। पीसीएआरडीबी को यह अधिदेश है कि वे किसानों, कारीगरों, दस्तकारों और अन्य अर्हताप्राप्त लोगों को ऋण प्रदान करें। एससीएआरडीबी की ही तरह पीसीएआरडीबी की जमाराशि की बुनियाद बहुत लघु है तथा वे और आगे ऋण प्रदान करने के लिए अधिकांशतः उधार पर निर्भर होते हैं।

तुलन-पत्र के परिचालन


V.69 पीसीएआरडीबी के तुलन-पत्र में 2015-16 में संकुचन होने के बाद, 2016-17 में इसमें विस्तार हुआ। आस्ति पक्ष में, सभी प्रमुख मदों में तेजी स्पष्ट रूप से देखी गई जो निवेशों और ऋणों तथा अग्रिमों में सबसे अधिक उल्लेखनीय रही। पीसीएआरडीबी का कारोबारी मॉडल प्राथमिक रूप से उधार पर आधारित है जो कुल देयताओं के 50 प्रतिशत से अधिक हिस्से को निर्मित करता है। वर्ष 2016-17 में उधार में तीव्र वृद्धि हुई, जबकि इन संस्थानों के कमजोर वित्तीय हालातों के कारण देयताओं के पक्ष में पूंजी और आरक्षित निधियों जैसे अन्य घटकों में कमी आई (सारणी V.23)।

लाभप्रदता

V.70 वर्ष 2016-17 में व्यय के आय में हुए विस्तार से अधिक होने के कारण पीसीएआरडीबी को हानि हुई। ब्याज से होने वाली आय में गिरावट जारी रही, जिसने अन्य आय में हुई वृद्धि को कम किया। हालांकि, ब्याज पर होने वाले व्यय और प्रावधानों के अपेक्षाकृत अधिक रहने से व्यय में बढ़ोत्तरी हुई। वर्ष 2015-16 में थोड़ा धनात्मक रहने वाला परिचालनगत लाभ 2016-17 में ऋणात्मक हो गया (सारणी V.24)।

V.71 पीसीएआरडीबी को अपेक्षाकृत अधिक हानि हुई और कुल पीसीएआरडीबी में लाभ में रहने वालों

चार्ट V.36: एससीएआरडीबी की वित्तीय संहत की क्षेत्रवार स्थिति



सारणी V.23: प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की देयताएं एवं आस्तियां


(राशि ₹ बिलियन में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घट-बढ़	
	2016	2017	2015-16	2016-17
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	11 (4.5)	10 (3.5)	-17.8	-8.5
2. आरक्षित निधियाँ	25 (10.3)	17 (5.8)	-38.4	-32.5
3. जमाराशियां	14 (5.6)	13 (4.5)	33.2	-7.1
4. उधारियाँ	143 (59.3)	155 (53.3)	-12.8	8.4
5. अन्य देयताएं	49 (20.2)	96 (33.0)	-38.7	96
आस्तियां				
1. नकद एवं बैंक शेष	4 (1.5)	4 (1.3)	-9.4	8.3
2. निवेश	15 (6.2)	22 (7.7)	-25.9	48.7
3. ऋण एवं अग्रिम	127 (52.7)	151 (51.9)	-14.4	18.9
4. अन्य आस्तियां	95 (39.6)	114 (39.2)	-29.2	20
कुल देयताएं/आस्तियां	241 (100.0)	291 (100.0)	-21.6	20.7

टिप्पणियां : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं/आस्तियों के प्रतिशत को दर्शाते हैं।
2. वर्ष-दर-वर्ष घट-बढ़ थोड़ी भिन्न हो सकती है क्योंकि सारणी में निरपेक्ष संख्याओं को ₹1 बिलियन में पूर्णांकित कर दिया गया है।
3. पूर्णांकन के कारण कुल जोड़ घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।

स्रोत : नाबार्ड।

के अनुपात में भी पिछले वर्ष की तुलना में कमी आई (चार्ट V.37)।



सारणी V.24: प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों का वित्तीय कार्यनिष्पादन

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	के दौरान		घट-बढ़ (%)	
	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17
1	2	3	4	5
ए. आय (i + ii)	21 (100.0)	22 (100.0)	-13.4	4.8
i. ब्याज से होने वाली आय	18 (83.7)	16 (72.7)	-9.3	-11.1
ii. अन्य आय	3 (16.3)	6 (27.3)	-29.9	100.0
बी. व्यय (i + ii + iii)	25 (100.0)	28 (100.0)	-12.4	12.0
i व्यय किया गया ब्याज	15 (60.9)	17 (60.7)	-11.4	13.3
ii प्रावधान और आकस्मिकताएँ	5 (18.5)	6 (21.4)	-23.9	20.0
iii. परिचालनगत व्यय	5.1 (20.6)	5 (17.9)	-2.5	-2.0
सी. लाभ				
i. परिचालनगत लाभ	1	-1	-52.4	-
ii. निवल लाभ	-3.5	-6.0	-5.7	-

टिप्पणियां : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं/आस्तियों का अनुपात (प्रतिशत में) दर्शाते हैं।
2. वर्ष-दर-वर्ष घट-बढ़ थोड़ी भिन्न हो सकती है क्योंकि सारणी में निरपेक्ष संख्याओं को ₹1 बिलियन में पूर्णांकित कर दिया गया है।
3. पूर्णांकन के कारण कुल जोड़ घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।

स्रोत : नाबार्ड।

आस्ति गुणवत्ता

V.72 वर्ष 2015-16 में पीसीएआरडीबी के जिस एनपीए में गिरावट हुई थी, उसमें वर्ष 2016-17 में सभी श्रेणियों, नामतः - अवमानक, संदिग्ध और हानि आस्तियों में पुनः वृद्धि हुई। हालांकि, ऋणों और अग्रिमों में अपेक्षाकृत तीव्र वृद्धि होने के कारण पीसीएआरडीबी के एनपीए अनुपात में थोड़ा सुधार हुआ (सारणी V.25)।

एससीएआरडीबी की तुलना में पीसीएआरडीबी की वित्तीय स्थिति

V.73 एससीएआरडीबी के एनपीए अनुपात में, जिसमें बेहतर वसूली के कारण 2013-14 से सुधार देखा गया, में वसूली अनुपात घट जाने से 2016-17 में पुनः कमी आई। इसके विपरीत,

सारणी V.25: प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की आस्ति गुणवत्ता

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	मार्च के अंत में		घट-बढ़ (%)	
	2016	2017	2015-16	2016-17
1	2	3	4	5
ए. कुल एनपीए (i+ii+iii)	47	49	-12.4	4.3
i) अवमानक	25	26	-9.3	4
	(52.8)	(53.1)		
ii) संदिग्ध	22	23	-15.7	4.5
	(46.6)	(46.9)		
iii) हानि	0.29	0.3	-9.4	3.4
	(0.6)	(0.6)		
बी. ऋण की तुलना में एनपीए अनुपात (%)	37	33	-	-
सी. मांग की तुलना में वसूली अनुपात (%)	43.6	44.3	-	-

टिप्पणियां : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशत रूप में कुल एनपीए में हिस्सेदारी को (प्रतिशत में) दर्शाते हैं।

2. वर्ष-दर-वर्ष घट-बढ़ थोड़ा भिन्न हो सकता है क्योंकि सारणी में निरपेक्ष संख्याओं को बिलियन रुपयों में पूर्णांकित किया गया है।

3. पूर्णांकन के कारण कुल जोड़ घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।

स्रोत : नाबार्ड।



2016-17 में पीसीएआरडीबी का एनपीए अनुपात बेहतर हुआ, यद्यपि यह एससीएआरडीबी की तुलना में अधिक बना रहा (चार्ट V.38)।

अल्पावधिक और दीर्घावधिक ग्रामीण ऋण सहकारी बैंकों का तुलनात्मक मूल्यांकन

V.74 वर्ष 2016-17 में, एससीएआरडीबी के एनपीए अनुपात में वृद्धि हुई और आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए)

ऋणात्मक हो गया, किंतु एसटीसीबी का एनपीए अनुपात घटा और लाभप्रदता में सुधार आया (चार्ट V.39)।

V.75 एसटीसीबी की आस्तियों/ऋण/पूंजी की तुलना में एससीएआरडीबी की आस्तियों, ऋणों और पूंजी के अनुपात में पिछले कुछ वर्षों में गिरावट आई है। हालांकि, वर्ष 2016-17 में एसटीसीबी की पूंजी के अनुपात की तुलना में एससीएआरडीबी की पूंजी में काफी सुधार हुआ (सारणी V.26)।



सारणी V.26: एससीएआरडीबी और एसटीसीबी की आस्तियों, ऋण और पूंजी आकार की तुलना

वर्ष	एसटीसीबी की आस्तियों के प्रत्येक ₹100 में एससीएआरडीबी की आस्तियों की राशि	एसटीसीबी के ऋण के प्रत्येक ₹100 में एससीएआरडीबी की ऋण की राशि	एसटीसीबी की पूंजी के प्रत्येक ₹100 में एससीएआरडीबी की पूंजी की राशि
2013-14	18.3	20.1	29.0
2014-15	16.7	18.5	18.2
2015-16	13.3	16.6	16.1
2016-17	13.0	16.7	27.9

स्रोत : नाबार्ड।

4. समग्र मूल्यांकन

V.76 यूसीबी के तुलन-पत्र में पिछले वर्ष विमुद्रीकरण के प्रभाव से जमाराशियों में विस्तार होने के बाद वर्ष 2017-18 के दौरान कमी आई। एनपीए अनुपात में थोड़ी सुधार होने के बावजूद उनकी समग्र लाभप्रदता में गिरावट आई, जबकि पूंजी की स्थिति आमतौर पर अपरिवर्तित रही।

V.77 यूसीबी को भुगतान बैंकों, लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) एवं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) जैसे नए प्रतिभागियों से और अधिक प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए उन्हें अन्य बातों के साथ-साथ रिज़र्व बैंक के आईटी सहयोग का उपयोग करते हुए मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणालियों को अपनाना अनिवार्य है। जहां तक अभिशासन की बात है, जमाकर्ताओं के हितों में सुधार लाने के लिए कार्यपालक और पर्यवेक्षी भूमिकाओं को अलग-अलग करना अनिवार्य है। 25 जून 2018 को रिज़र्व बैंक ने वर्तमान निदेशक मंडल के अलावा प्रबंधन बोर्ड के

गठन के संबंध में दिशानिदेशों का मसौदा जारी किया ताकि विशेषज्ञ ज्ञान और पेशेवर प्रबंधन गुणों वाले लोगों को सदस्यों के रूप में एक साथ लाया जा सके। रिज़र्व बैंक ने विनियमन को बजबूत बनाने और संवृद्धि के अवसरों को बढ़ाने हेतु यूसीबी के एसएफबी में स्वैच्छिक परिवर्तन के लिए योजना प्रारंभ किया।

V.78 दूसरी ओर, आस्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता की दृष्टि से ग्रामीण सहकारी बैंकों के कार्य-निष्पादन में भिन्नता है। एसटीसीबी के एनपीए अनुपातों तथा लाभप्रदता में सुधार आया, किंतु डीसीसीबी के मामले में दोनों मानदंडों में गिरावट आई। पिछले कुछ वर्षों में, नाबार्ड ने अन्य बातों के साथ-साथ अल्पावधिक ग्रामीण सहकारी क्षेत्र में सीआरएआर स्तर की निरंतर निगरानी करके और आवश्यकता होने पर पूंजी डाले जाने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ निरंतर संपर्क में रहकर विभिन्न सुधार किये हैं।

V.79 दीर्घावधिक ग्रामीण सहकारी संस्थानों का वित्तीय कार्य-निष्पादन संतोषप्रद नहीं रहा है और एससीएआरडीबी और पीसीएआरडीबी –दोनों द्वारा निवल हानि की रिपोर्ट करने के साथ 2016-17 में यह स्थिति और खराब हुई। वर्ष 2016-17 में एससीएआरडीबी के एनपीए अनुपात में काफी बढ़ोतरी होने से दीर्घावधिक ग्रामीण सहकारी बैंकों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। कृषि क्षेत्र में पूंजी निर्माण करने में दीर्घावधिक ग्रामीण सहकारी संस्थानों के महत्व के मद्देनजर, इनकी जमाराशि की बुनियाद, पूंजी और उत्पादों के दायरे को बढ़ाने के लिए उपाय करना आवश्यक है, ताकि उनके वित्तीय कार्य-निष्पादन में सुधार लाया जा सके।